बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एव विकास विभाग)

का०आ०स०—स्था०1/आ०2—17/2015 3913 पटना, दिनांक 04 12.17

कार्यालय आदेश

श्री जयदीप कुमार पासवान, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, संपतचक प्रखड, पटना सप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सहदेई बुजुर्ग प्रखंड, वैशाली के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम 2012—13 में किसानों/पैक्सों से खरीद किये गये धान की क्षति/गबन के लिए जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1029/आपूर्त्ति दिनांक 27.05.2015 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 178 सहपठित ज्ञापाक 911 दिनाक 15.07 2015 द्वारा श्री जयदीप कुमार पासवान पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला साख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 4903 दिनाक 12 12.2015 के आलोक मे निदेशालय के का०आ०स० 300 सह पठित ज्ञापाक 1982 दिनाक 21 12.2015 द्वारा गोपालपुर थाना काड सख्या 48/15 दिनांक 28 04.2015 के धारा 406/420/409 भा०द०वि० के अधीन श्री जयदीप कुमार पासवान के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. प्रपत्र 'क' मे जयदीप कुमार पासवान के विरूद्ध आरोप का गठन निम्नरूपेण किया गया था :—

जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2012—13 मे किसानो/पैक्सों से धान की खरीद करने हेतु प्रभारी धान क्रय के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। आपके द्वारा सपतचक धान क्रय केन्द्र मे कुल 15695 60 क्वींटल धान की खरीद की गई थी। आपके द्वारा निर्गत भंडार निर्गमादेश के विरूद्ध राईस मिलरों को कुल 14401 20 क्वीटल धान की आपूर्त्ति की गई एव अवशेष 1294.40 क्वींटल धान को क्षतिग्रस्त करा दिया गया, जिसका मूल्य 16,88,415.36 (सोलह लाख अठासी हजार चार सौ पन्द्रह रूपये छत्तीस पैसे) होता है। उक्त धान की नीलामी की गई और नीलामी से मात्र 7,92,172.80 (सात लाख बयानवे हजार एक सौ बहत्तर रूपये अस्सी पैसे) सरकार को प्राप्त हुआ । इस प्रकार आपके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर 8,96,242 56(आठ लाख छियानवे हजार दो सौ बयालीस रूपये छप्पन पैसे) रूपये की सरकारी सम्पति का दुरूबिनियोग कर अमानत मे ख्यानत किया गया है, जो आपसे वसूलनीय है।

इस प्रकार आपका यह कृत अपने कर्त्तव्य में घोर लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, नियम के प्रतिकूल कार्य करना, अमानत मे ख्यानत एव सरकारी संपत्ति का दुरूपयोग करने का द्योतक है।

3. अपर समाहर्त्ता, (विभागीय जॉच), पटना—सह—संचालन पदाधिकारी, पटना द्वारा उनके पत्राक 59 दिनांक 20 04 2017 से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवदेन समर्पित किया गया है। जो निम्नवत् है .—

समर्पित जॉच प्रतिवेदन में सचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी का यह स्पष्टीकरण कि धान के बचाव हेतु ससधानो का अभाव मिलरो द्वारा धान नहीं उठाया जाना, भडारण की क्षमता से ज्यादा की मात्रा मे प्रशासनिक दबाव में धान खरीदी करने के कारण हुई क्षति के तथ्य को

अस्वीकार करते हुए सचालन पदाधिकारी ने अपना मंतव्य गठित किया है कि मात्र पत्राचार कर देने एव राज्य खाद्य निगम पर दोष मंढ देने से वे क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियो से मुक्त नही हो जाते है। उनके द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य /तथ्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि उन्होने धान को खराब होने से बचाने हेतु अपना समुचित प्रयास किया है। आरोपी पर प्रपत्र'क' पर गठित आरोप प्रमाणित होता है।

4 संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 938 दिनाक 16.05.2017 द्वारा श्री जयदीप कुमार पासवान से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। इसके आलोक मे श्री पासवान का अभ्यावेदन दिनांक 30 06 2017 में किसी नये तथ्यो का उल्लेख नही किया गया है। उनके द्वारा उन्ही बातो को दुहराया गया है जो पूर्व के स्पष्टीकरण में संचालन पदाधिकारी को दिया गया था।

5. इस प्रकार श्री जयदीप कुमार पासवान पर गठित आरोप एव उस पर सचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से इनपर 8,96,242.56 रूपये (आठ लाख छियानवे हजार दो सौ बयालीस रूपये छप्पन पैसे) सरकारी सम्पति का दुरूविनियोग करने का आरोप प्रमाणित होता है तथा ये घोर लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, नियम के प्रतिकूल कार्य करने, अमानत मे ख्यानत एव सरकारी संपति के दुरूपयोग करने एव सरकारी कर्मचारी के आचरण के विपरीत कार्य करने के दोषी है। दुरूबिनियोग की यह राशि श्री जयदीप कुमार पासवान से वसूलनीय भी है।

6 अत श्री जयदीप कुमार पासवान, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सपतचक प्रखड, पटना संप्रति प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, सहदेई बुजुर्ग प्रखंड, वैशाली पर सरकारी सम्पति का दुरूबिनियोग का उक्त आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप उन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के तहत सचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने का दड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह०/—
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापाक — स्था०1/आ०2—17/2015 1702 पटना, दिनाक : 04·12·17

प्रतिलिपि — प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग,बिहार, पटना।

2 जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री जयदीप कुमार पासवान से दुरूबिनियोग की राशि की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेगे।

3 जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4 कोषागार पदाधिकारी, पटना/वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. जिला साख्यिकी पदाधिकारी, पटना/वैशाली

6 प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहदेई बुर्जुग, वैशाली।

7 श्री सुदामा प्रसाद, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8 श्री जयदीप कुमार पासवान, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सहदेई बुजुर्ग प्रखंड, वैशाली

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/12/17
निदेशक